

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद मेरठ।
पत्रांक:- भ-55/सीएफओ-रेजीडेन्सीयल भवन-18 दिनांक जून 24, 2018

प्रारूप:- ध

औपबन्धिक (Provisional) अनापत्ति प्रमाण-पत्र


यूआईडी संख्या:- 2018/44205/एमआरटी/मेरठ/943/जे0डी0
दिनांक 27.06.2018

प्रामाणित किया जाता है कि एयरफोर्स नेवल हाउसिंग बोर्ड एयरफोर्स स्टेशन रैस कोर्स रोड नई दिल्ली द्वारा सेक्टर-4 वी शताब्दीनगर जनपद मेरठ पर ग्रुप हाउसिंग भवन के कम्पाउण्डिंग शमन हेतु जिसमें ब्लाक 01 से 06 तक Stilt +10 तल जिसकी ऊँचाई 33.19 मीटर तथा ब्लाक 07 के पार्ट-1 व पार्ट-2 व ब्लाक 8 Stilt +11 तल जिसकी ऊँचाई 38.19 मीटर एवं कम्प्यूनिटी हॉल बेसमेन्ट G+2 है, जिसकी ऊँचाई 11.84 मीटर तथा प्लॉट एरिया 40396.52 वर्ग मीटर है। (उक्त भवन का पूर्व में मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा एन सं0-1743 दिनांक 28.01.2010 को मानचित्र स्वीकृत किये गये है तथा ब्लाक-01,02,03,04,05,06 में ट्रेवेलिंग डिस्टेन्स अनुमन्य सीमा से अधिक होने के कारण उक्त ब्लाकों में सिंक्रलर सिस्टम का प्राविधान करवा जाना वांछनीय है।) भवन का अधिभोग, एयरफोर्स नेवल हाउसिंग बोर्ड एयरफोर्स स्टेशन रैस कोर्स रोड नई दिल्ली द्वारा किया जायेगा। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा के सनस्त प्राविधानों का समायोजन एन0बी0सी0 एवं तत्सम्बन्धी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 मानकों की संस्तुतियों के अनुरूप किया गया है। इस भवन का प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण-पत्र एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी के ग्रुप 'ए' के सब डिवीजन ए-4 अपार्टमेन्ट हाऊसेज (आवासीय) भवन श्रेणी के अर्न्तगत इस शर्त के साथ दिया जा रहा है कि प्रस्तावित भवन में सभी मानकों का अनुपालन किया जायेगा तथा भवन के निर्माण के पश्चात् भवन के अधिभोग से पूर्व अग्नि एवं जीवन सुरक्षा प्रमाण-पत्र (Fire & Life Safety Certificate) प्राप्त किया जायेगा।
सलगन-अनुमादित मानचित्र

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
मेरठ।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को शासनादेश संख्या: 1765/छ-घु0-08-2017-905(34)/2016 गृह (पुलिस) अनुभाग
-8 दिनांक 16.02.2018 के क्रम में सादर सूचनाार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु।

1. जोनल अधिकारी जोन-ए, मेरठ विकास प्राधिकरण मेरठ को पत्र सं0-16/जोन-ए दिनांक 01.05.2018 के सन्दर्भ में।
2. स्वामी/प्रबन्धक एयरफोर्स नेवल हाउसिंग बोर्ड एयरफोर्स स्टेशन रैस कोर्स रोड नई दिल्ली को अनुपालनार्थ।
3. अग्निशमन अधिकारी परतापुर मेरठ को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ एवं अभिलेखीयकरण हेतु।



ATTESTED
N. K. SHRI
NOTARY
5/10/2018